तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
10/3/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील अपीलांट्स उप0। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अपील के समर्थन में इकबालिया जवाब प्राप्त हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चुकी हैं। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील अपीलान्टस् ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम जीलो के खाता संख्या 185 की खातेदारी भूमियां अपीलान्टस् संख्या 2 व 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को अपने पिता स्वर्गीय बीरबल पुत्र भागू की विरासत से प्राप्त हुई जिनका नामान्तरकरण ग्रम पंचायत जीलो द्वारा स्वीकार किया गया। दौराने नामान्तरकरण अपीलान्टस् संख्या 1 का नाम अपने पिता स्वर्गीय बीरबल पुत्र भागू की विरासत में दर्ज नहीं किया तथा अपीलान्ट्स संख्या 2 का नाम सहवन से श्रीराम के स्थान पर माधो एवं अपीलान्ट्स संख्या 3 का नाम सहवन से किशन लाल के स्थान पर किशन दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट्स संख्या 2 व 3 के सभी दस्तावेजों में नाम क्रमशः श्रीराम व किशनलाल दर्ज हैं। अपीलान्ट्स ने अपील के समर्थन में ग्राम पंचायत जीलो द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत किये हैं। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 अपील अपीलान्ट्स के समर्थन में अपना इकबालिया जवाब भी पेश किया हैं। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स संख्या 1 का नाम बीरबल पुत्र भागू की विरासत में दर्ज नहीं किया गया तथा अपीलान्ट्स संख्या 2 व 3 के नाम में भिन्नता हैं। अपीलान्ट्स संख्या 1 का कथन है कि ग्राम पंचायत जीलो के नामान्तरकरण संख्या 538 को निरस्त किया जावें एवं अपीलान्ट्स संख्या 2 व 3 का नाम माधो व किशन के स्थान पर क्रमशः श्रीराम व किशनलाल दर्ज किया जावें की पुष्टि ग्राम पंचायत जीलो द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व [illegible] प्रस्तुत इकबालिया जवाब से भी होती है। [illegible] प्रस्तुत ग्राम पंचायत जीलो के सजरा प्रमाण पत्र, रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh
Date: 2021.03.29 17:55:49
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत जीलो के नामान्तरकरण संख्या 538 को निरस्त कर तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि मृतक खातेदार बीरबल पुत्र भागू जाति माली ग्राम जीलो के विधिक वारिसानों की जांच कर पुनः नामान्तरकरण भरा जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:55:49 IST
Reason: SelfAttested